देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक / भण्डार / आ.सो.कर्मी की सेवाएं / निविदा / 2025 /   दिनांकः

2025-26

अर्धकुशल, कुशल कर्मियो एवं उच्चकुशल कर्मियों की सेवाएं उपलब्ध कराने बाबद online निविदा–विज्ञप्ति।

दे.अ.वि.वि., इन्दौर के विभिन्न अध्ययनशालाओं / संस्थानों एवं प्रशासकीय विभागों हेतु विभिन्न प्रकार के 120 (अनुमानित) अर्धकुशल, कुशल एवं उच्चकुशल कर्मियों की आउट सोर्सिंग के माध्यम से सेवाएँ उपलब्ध कराने बाबद् प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं आर्थिक रूप से सृदृढ़ अभिकरणों सेonline निविदाएं (Two Bid Tender System परिशिष्ठ 'अ'–'ब' में) आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण, निविदा की शर्ते एवं निविदा प्रपत्र देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.dauniv.ac.in** एवं **www.mptender.gov.in** से प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्तो का मूल्य रूपये 2,000 / –(अक्षरी राशि रू. दो हजार मात्र) है ।

1. निविदा क्रय करने की आरंभिक तिथि : 04–08–2025
2. निविदा क्रय करने की अंतिम तिथि : 18–08–2025
3. निविदा भरने की अंतिम तिथि : 18–08–2025

निविदा के दस्तावेजों का परीक्षण (Two Bid Tender System Envelope 'अ'–'ब') (जिसकी तिथि एवं समय पृथक से विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर सूचित की जाऐगा) उपस्थित निविदाकारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष गठित समिति द्वारा खोले जावेंगे । निविदाकारों से अनुरोध है कि धरोहर राशि, निविदा कय राशि की रसीद **Mandatary Docs** में तथा तकनीकी बीड से सम्बन्धित कागजात index (सूची) सहित केवल online प्रस्तुत किये जाने हैं।

नोटः– निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन समाचार पत्र के माध्यम से नहीं किया जावेगा, **यह केवल वि.वि.की वेबसाईट www.dauniv.ac.in** पर ही प्रकाशित किया जावेगा।

कुलसचिव,

ई–निविदा शर्ते/नियम

1. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के नालंदा, एवं तक्षशिला परिसरों के विभागों एवं संस्थानों के लिए अर्धकुशल, कुशल कर्मियो एवं उच्चकुशल कर्मियों अनुमानित संख्या 120 कर्मियों की सेवाएं आउट सोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु एक प्रतिष्ठित सुस्थापित व आर्थिक रूप से सुदृढ़ अभिकरण की आवश्यकता है। सेवा हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले समस्त कर्मियों की आयु 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता एवं कर्मियों के कार्य सम्बंधी योग्यताएं जहां शासन द्वारा निर्धारित की गई है, तदनुसार होना चाहिए। कर्मियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई या बढाई जा सकती है। इस संबंध में online Tander जो निम्नानुसार (Two Bid Tender System format 'अ'–'ब') प्रणाली पर आधारित होगी। निविदाकार अभिकरण निम्नांकित दस्तावेजों/अभिलेखों की स्वयं सत्यापित छाया प्रतियाँ संलग्न करें (upload) :–
(क) वाणिज्यिक शर्त और निबधंन के साथ सभी तकनीकी ब्यौरे वाली तकनीकी बीड परिशिष्ठ 'अ' अनुसार प्रमाण सहित Portal पर upload करें तकनिकी बीड मान्य होने पर ही फर्म की वित्तीय बीड पर विचार किया जावेगा।
(ख) वित्तीय बीड जिसमें तकनिकी बीड में उल्लेखित सेवाओं को प्रदान करने के लिए दर दर्शाई गई हो। (Financial Bid BOQ)

2. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि के रूप में राशि रू. 6,00,000/–(अक्षरी राशि रू.छः लाख मात्र) निविदा के साथ जमा कर रसीद संलग्न करना होगा। निविदा प्रपत्र का मुल्य रू. 2,000/–(अक्षरी राशि रू. दो हजार मात्र) की रसीद निविदा के साथ संलग्न करें।

3. विश्वविद्यालय द्वारा आउट सोर्सिंग सेवाओं के अंतर्गत अपेक्षित कार्य :–
   (अ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों एवं प्रशासकीय कार्यालयों के कार्यालयीन समय भिन्न–भिन्न हैं तथा कार्य की विविधता के अनुसार कर्मियों की आवश्यकता संख्या एवं कार्य समय विश्वविद्यालय द्वारा तदनुसार निर्धारित किया जावेगा।
   (ब) विभागों के कार्यालयीन कार्य की प्रकृति के अनुसार कर्मियों द्वारा कार्य सम्पन्न किया जाना अपेक्षित है तथा समय का बन्धन लागू होगा।

4. निविदा स्वीकार किये जाने पर संबंधित अभिकरण को अर्थात सफल निविदाकार को जो अब अनुबंधकर्ता स्वीकार किये गये निविदा मूल्य पर एक वर्ष की 5 प्रतिशत राशि परफारमेंस ग्यारंटी के रूप में जमा करना होगी। परफारमेंस ग्यारंटी निम्नलिखित में से किसी भी रूप में हो सकती है :– Registrar DAVV Indore के नाम से बैंकर चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट, राष्ट्रीयकृत (अधिसूचित वाणिज्यक बैंक) बैंक का एफ.डी.आर. विहित प्रपत्र में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया या किसी अन्य अनुसूचित बैंक की अप्रतिसहरणीय बैंक ग्यारंटी बॉण्ड ग्यारंटी, निष्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्यताओं सहित अहस्तातरणीय की सभी संविदाकृत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख के बाद साठ दिन की अवधि तक के लिए वैध होना आवश्यक होगा। निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर सफल निविदाकर्ता को निविदा निविदा धरोहर राशि लौटाई जाएगी।

5. निविदाकर्ता अभिकरण को निविदा के साथ निम्नलिखित जानकारी एवं कागजातों की (Self attested) स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है एवं जिसे परिशिष्ठ " में अनिवार्य रूप से भरा जावे।
   (अ) पैन एवं G.S.T. No. की प्रति।
   (ब) विगत तीन वर्षों में दाखिल किये गये आयकर विवरणी की प्रति upload करनी है। अभिकरण का न्यूनतम वार्षिक औसत Turn Over Rs. 2,00,00,000/– (अक्षरी राशि रू.दो करोड मात्र) विगत तीन वर्षों के दौरान होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष का वार्षिक तीन वर्षों के दौरान 03 वर्षों की आडिटेड बेलेंसीट गत 03 वर्ष का वार्षिक न्यूनतम टर्न ओव्हर कम से कम 2,00,00,000/–होना चाहिए । इस आश्य का सी.ए. का प्रमाण पत्र संलग्न करें । (2021–22, 2022–23 एवं 2023–24)

(स) सेवा प्रदाय करने वाली फर्म/अभिकरण को लोक उद्यम/बैंक और शासकीय/अर्ध्दशासकीय/निगम मंडल संस्थान में कर्मियों की सेवायें उपलब्ध कराने का अनुभव होना चाहिये तथा निविदा प्रस्तुत करते समय 100 कर्मियों के कार्यरत होने एवं उनके मार्च 2025 के EPF and ESI के अंशदान भुगतान किए गए हो का प्रमाण पत्र।

(द) इन्दौर में कार्यालय होने का प्रमाण (गुमास्ता लायसेंस) की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

(संलग्न प्रपत्र अनुसार)

(1) अभिकरण का उक्त कार्य हेतु पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र।

(2) अभिकरण ब्लेक लिस्टेड न होने का प्रमाण पत्र रू. 1000/— के (Nonjudicial) नोटराईज्ड स्टाम्प पेपर पर।

(3) अभिकरण द्वारा प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जावेगा। परीक्षण पश्चात् दस्तावेजों में कोई असत्य जानकारी पाई जाती है तो अभिकरण की धरोहर राशि जप्त की जाकर उसके विरूध्द विधिक कार्यवाही की जावेगी।

(4) फर्म/अभिकरण को आगामी माह का भुगतान पिछले माह का (ECR) रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही किया जावेगा ।

(5) संस्था के पास आई एस ओ प्रमाण—पत्र होना अनिवार्य है ।

6. संस्था को समान कार्यक्षेत्र में शासकीय/ अर्ध्दशासकीय/निगम मंडल में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव एवं 3 कार्यादेश होना अनिवार्य है।

7. संस्था/अधिकृत व्यक्ति किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय/प्राइवेट संस्थान से कालीसूची (Black List) में नहीं होना चाहिए एवं संस्था पर ई पी एफ, ई एस आई सी, या सर्विस टैक्स विभाग का कोई भी बकाया कर नहीं होना चाहिए एवं ई पी एफ, ई एस आई सी, या सर्विस टैक्स या किसी आपराधिक प्रवत्ति में लिप्त नहीं होना चाहिए और उसके खिलाफ कोई भी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं होना चाहिए। जिस संस्था में कार्य कर रहे हैं वहां कोई भी जांच प्रक्रियाधीन नहीं होना चाहिए । इस संबंध में संस्था को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् या निविदा खुलने के पश्चात् या कार्य शुरू होने के दौरान भी अगर इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलती है तो संस्था से कार्यादेश को निरस्त कर दूसरे ठेकेदार को कार्य सौंप दिया जायेगा और उक्त संस्था को काली सूची बध्द कर दिया जायेगा एवं जरूर पड़ने पर विधिक कार्यवाही भी की जाएगी।

8. सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे निरस्त कर दिया जाएगा। निविदा प्रपत्र में भरी गयी सभी प्रविष्ठियॉ पठनीय एवं सुपष्ट होनी चाहिए। यदि सूचना देने में निविदा प्रपत्र में जगह की कमी हो तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित अलग शीट का उपयोग किया जा सकता है और उसे निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जा सकता है।

9. वित्तीय निविदा Format 'ब' में upload जावेगी।

10. अनुबंध प्रथमतः 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। कार्य एवं सेवाएं संतोषप्रद होने पर पूर्व में स्वीकृत दर एवं शर्तों के अनुसार पुनः 1 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा। यह नवीनीकरण 1 वर्ष के लिए पुनः कार्य विवेचना के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा, किन्तु किसी भी स्थिति में यह अनुबंध कुल 3 वर्षों से अधिक नहीं होगा। नई निविदा स्वीकृत होने तक अभिकरण को स्वीकृत दर पर कार्य करना होगा।

11. अनुबंध करने वाले अभिकरण को, किसी अन्य अभिकरण को, इस अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों एवं दायित्वों को अंतरित, समूह निर्देशित, प्रतिभूत करने की अनुमति नहीं होगी।

12. निविदाकार इस संस्थान को निविदा जमा करते समय या पश्चात्वर्ती किसी भी स्तर पर दी गई सूचनाओं से आबद्ध होगा। यदि उसके द्वारा दिये गये दस्तावेज किसी भी स्तर पर गलत पाये गये तो यह माना जायेगा कि उसने अनुबंध की शर्तों को भंग किया है और इसके लिए उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी साथ ही निविदा को भी निरस्त किया जा सकेगा।

13. स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कर्मियों के पूर्ववृत्ति से संबधित चरित्र सत्यापन (police verification) अनिवार्य होगा ।

14 यदि अभिकरण के कर्मियों द्वारा ऐसा कोई कार्य/ लोप किया जाता है जो कदाचरण/अनुशासनहीनता/अयोग्यता की कोटि में आता हो तथा उससे सुरक्षा जोखिम हो तो फर्म/अभिकरण को ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध तुरंत उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होगी। यदि आवश्यक हुआ तो उसे कार्यस्थल से हटाना भी होगा। इस तरह की कार्यवाही प्रकरण संज्ञान में आने के एक दिन के समयावधि में करना होगी ।

15 निविदाकार अभिकरण को कर्मियों के पहचान पत्र जारी करना होंगे। इस पहचान पत्र में कर्मियों के फोटोग्राफ व उनकी व्यक्तिगत सूचनायें यथा नाम, जन्मतिथि, आयु पता, मोबाईल नम्बर व पहचान चिन्ह इत्यादि होंगे ।

16 . सेवा प्रदाय करने वाले अभिकरण को यह सुनिश्चित् करना होगा कि विश्वविद्यालय में उसके कर्मियों द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यालय से संबंधित कोई जानकारी, कर्मिक प्रक्रिया, तकनीकी जानकारी, सुरक्षा व्यवस्था व प्रशासनिक/सगंठनात्मक मामलों से संबंधित कोई भी जानकारी किसी व्यक्ति/सगंठन को नहीं दी जावेगी।

17. सेवा प्रदाय करने वाला अभिकरण यह सुनिश्चित् करेगा कि उसके कर्मी विश्वविद्यालय परिसर में उचित आचरण – व्यवहार करें। शराब, पान एवं धूम्रपान का सेवन न करें तथा बिना किसी काम के परिसर में इधर–उधर न घूमें।

18 अभिकरण को आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षक नियुक्त करना होंगे ऐसे नियुक्त किये गये पर्यवेक्षकों से संस्थान के संबंधित अधिकारी तुरंत सम्पर्क स्थापित कर सकें। जिससे अभिकरण के कर्मियों की सेवायें बिना किसी बाधा के ली जा सके। पर्यवेक्षक का मोबाइल नंबर सूचित किया जाना होगा ताकि विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सूचित करने पर कार्य तत्काल पूरा किया जा सके।

19. चयनित अभिकरण को किसी भी कर्मी द्वारा अपने व्यक्तिगत कारणों से नौकरी छोडने पर उसके स्थान पर अन्य कर्मी तुरंत देना होगा। ऐसा करने में 3 दिन से अधिक की विलंब होने पर सेवा प्रदाय करने वाले अभिकरण से सेवा क्षतिपूर्ति वसूल की जावेगी जो प्रतिदिन 1000/–रूपये (प्रति प्रकरण) एवं अधिकतम अनुबंध राशि का 10 प्रतिशत तक हो सकेगा।

20. वि. वि. में अभिकरण के कर्मी के लिए विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत परिभाषित एवं अन्य सभी उद्देश्यों के लिए "सेवायोजक" सेवा प्रदाय करने वाले अभिकरण ही होंगे। इस तरह अभिकरण द्वारा विश्वविद्यालय में लगाये गये कर्मी का विश्वविद्यालय से नियोजक व सेवक अथवा मालिक व अभिकरण का संबंध नहीं होगा।

21. सेवा प्रदाय करने वाले अभिकरण अपने कर्मियों की शिकायतों–विवादों के निस्तारण के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगें ऐसे किसी भी विवाद को निपटाने के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

22. अनुबंधकर्ता पर समस्त लागु नियम (Laws) बंधनकारी होंगे जिसके अंतर्गत कर्मियों के कल्याणनार्थ समस्त मानदण्डों की पूर्ति अनुबंधकर्ता द्वारा की जावेगी। इस संबंध में यथोचित प्रमाण प्रस्तुत कराना होगा । यहॉ यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के उत्तरदायित्व एवं बाध्यता (obligations) जिनका उल्लेख यहॉ नहीं किया गया है उनका उत्तरदायित्व एवं बाध्यता अनन्य (Exclusively) रूप से अनुबंधकर्ता की होगी। कार्य के दौरान अभिकरण के कर्मी को कोई वित्तीय नुकसान या कोई शारीरिक क्षति पहुँचती है तो किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

23. अनुबंध के दौरान या उसकी समाप्ति पर विश्वविद्यालय के दैनिक, तदर्थ, नियमित/स्थायी कर्मचारियों को प्राप्त/वेतन दिए जाने वाले भत्ते व अन्य सुविधायें के लिए अभिकरण कर्मियों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा एवं किसी भी प्रकार का कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।

24. अनुबंध की समाप्ति पर या उसे निरस्त किये जाने पर या अन्यथा की स्थिति में अभिकरण कर्मी को विश्वविद्यालय में न तो समायोजित होने अथवा न ही नियमित/अन्य रूप में समायोजित होने हेतु कोई छूट की पात्रता होगी।

25. अभिकरण, विश्वविद्यालय को सेवा प्रदान करने के एवज में इस संबंध में विद्यमान नियमों व विनियमों के तहत संबंधित कर संग्रहकर्ता प्राधिकारी को सभी करों उपकरों इत्यादि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

26 लागू विधियों के अंतर्गत सभी पंजियो (रजिस्टरों) के रख–रखाव की जिम्मेदारी अभिकरण की होगी। मांगे जाने पर विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारी को या विधि द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अभिकरण द्वारा उसे प्रस्तुत किया जावेगा।

27 स्त्रोत पर कर व शिक्षा उपकर या अन्य कोई कर जो कि समय–समय पर लागू हो, आयकर विभाग के प्रावधानों के अनुसार काटा जाएगा एवं इस आशय का प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय द्वारा अभिकरण को जारी किया जाएगा।

28 यदि निविदाकार अभिकरण उपयुक्त विधियों के अंतर्गत विधिक/आयकर दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है और उस कारण से विश्वविद्यालय को कोई नुकसान होता है या उसे आर्थिक या अन्य कोई क्षति पहुँचती है तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि जितनी क्षति पहुँची है उतनी राशि की कटौती अभिकरण के बकाया भुगतानों/देयकों से या उसकी परफार्मेन्स सिक्यूरिटी डिपॉजिट से समायोजित (Deduct) कर लें।

29 जो अभिकरण बोली में सफल नहीं होंगे उनकी धरोहर राशि बिना किसी ब्याज के उन्हे वापिस हो जावेगी।

30 यदि सफल अभिकरण कार्यादेश जारी किये जाने के 15 दिनों की समयावधि में अनुबंध निष्पादित कर प्रारंभिक आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मी नियुक्त नहीं करता है तथा अनुबंध से संबंधित किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो बिना किसी सूचना के उसकी धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी, एवं अनुबंध निरस्त किया जाकर ब्लेक लिस्टेड घोषित किया जावेगा। तथा L2 को कार्यादेश जारी किया जा सकेगा ।

31 अभिकरण द्वारा नियुक्त कार्यरत कर्मियों को शासन/विधिक अभिकरण द्वारा स्वीकृत प्रचलित दरों के अनुसार देय वेतन के वेतन देयक एक रूपया के रिवेन्यू स्टाम्प पर 3 प्रतियों में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आवक–जावक विभाग में प्रस्तुत करेगा। देयक के साथ अभिकरण के कर्मियों का उपस्थिति–पत्रक व पूर्व माह में कर्मचारीयो को दिए गए भुगतान के पत्रक भी प्रस्तुत करना होंगे। EPF & ESI के चालान भी संलग्न किया जाना होंगे। एजेंसी द्वारा समस्त कर्मियों का बीमा कराना अनिवार्य होगा ।

32 किसी भी वाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र इन्दौर रहेगा।

33 निविदा के नियम/शर्तों में संशोधन, विलोपन अथवा समस्त निविदाओं के बिना किसी सूचना या कारण से निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को रहेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकरण इंदौर क्षेत्र (Compentent Authority) का निर्णय बंधनकारी होकर अंतिम एवं किसी भी स्थिति में समस्त पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव

परिशिष्ट–'अ'

तकनीकी बीड प्रपत्र

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) में अर्धकुशल/कुशल/उच्च कुशल कर्मियों की सेवायें उपलब्ध कराने बावद् ।

1. निविदादाता फर्म/अभिकरण का नाम : --
(पंजीकरण के प्रमाण–पत्र सलंग्न करें)
2. फर्म/अभिकरण के मालिक/संचालक का नाम : --
3. पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता :--

टेलीफोन नं. ---------------------- फैक्स नं. ----------------------
ई मेल :– --
4. कार्य करने वाली शाखा का पूरा पता : --

टेलीफोन नं. ---------------------- फैक्स नं. ----------------------
5. कम्पनी/फर्म/अभिकरण के बैंकर का नाम व पूरा पता : --

बैंकर का टेलीफोन नं. ---------------------- फैक्स नं. ----------------------
ई मेल :– --
6. पैन/G.S.T. नं. : --
(साक्ष्यांकित प्रति संलग्न करें)
7. सेवाकर पंजीकरण संख्या : --
(साक्ष्यांकित प्रति संलग्न करें)

निविदादाता कम्पनी/फर्म/अभिकरण के विगत तीन वित्तीय वर्ष के 2021–22, 2022–23, 2023–24 आयकर विवरण
(यदि जगह अपर्याप्त हो तो अलग से शीट संलग्न करें)

वित्तीय वर्ष	रू. (लाख में)	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
2021–22		
2022–23		
2023–24		

सरकारी विभागों, (शासकीय/अर्ध्दशासकीय/निगम मंडल) लोक उद्यमों के लिए निविदादाता कम्पनी/फर्म/अभिकरण द्वारा विगत तीन वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रारूपों में दिया जावे। कार्यादेश एवं सफल कार्य संपादन रिपोर्ट की अभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न की जावे। (अभिप्रमाणन उस संस्था के अधिशासी अधिकारी से नीचे स्तर के अधिकारी का नहीं होना चाहिये।)

क्रं	संविभाग का नाम	पता	टेलीफोन नं.	फैक्स	अनुबंध राशि (लाख में)	समय से	तक
1							
2							
3							

(यदि जगह अपर्याप्त हो तो अलग से सीट संलग्न करें)

8. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो (यदि आवश्यक हो तो अलग से शीट सलंग्न करें)

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

तिथि :
स्थान :

नाम : ....
मोहर

घोषणा–पत्र

1. मैं / हम ———————————— पुत्र / पुत्री / पत्नी ——————— उपरोक्त फर्म / अभिकरण के मालिक / संचालक / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने एवं इस निविदा पत्र को निष्पादित करने के लिए सक्षम हूँ / हैं ।

2. मैनें / हमने निविदा की सभी शर्तों को ठीक से पढ़ एवं समझ लिया है तथा उसे मानने के लिए वचन देता हूँ / देते हैं ।

3. उपरोक्त आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं उसके साथ लगाये गये दस्तावेज मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं। मैं / हम इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ / समझते हैं कि यदि निविदा प्रपत्र में दी गई कोई भी सूचना गलत या लगाये गये दस्तावेज जाली पाये जाते हैं तो मेरे / हमारे निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त मेरे / हमारे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

तिथि :
स्थान :

नाम : ....
मोहर

नोट : प्रचलित नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र देना होगा ।
निविदा के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज का क्रम :

1. अभिकरण के पंजीकरण की साक्ष्यांकित प्रति।
2. पैन / जी.एस.टी. नं. की साक्ष्यांकित प्रति।
3. अभिकरण द्वारा पिछले तीन वर्ष में दाखिल किये गये आयकर विवरण की साक्ष्यांकित प्रति।
4. सेवाकर पंजीकरण प्रमाणपत्र की साक्ष्यांकित प्रति।
5. अनुभव प्रमाण पत्र।

माह 2025

फर्म का नाम..

संस्थान का नाम..

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	फोन नं	PF हेतु नं UAN	ESIC No.	संस्थान से प्राप्त PF हेतु राशि	PF अंशदान जमा का प्रमाण पत्र	ESIC का अंशदान	जमा का प्रमाण

वित्तीय बीड परिशिष्ठ–
(केवल ऑन भरें)

फर्म का नाम : .... प्रोपराईटर/पार्टनर्स का नाम निविदाकर्ता : .... पता : ....
....................................फोन नम्बर/मोबाईल नम्बर :.................................... ई–मेल आई.डी. : ....

घटक (Components)

क्र.	आउटसोर्स कर्मियों का पदनाम Post of Outsource Person	मूल वेतन की मासिक दर Monthly rates of Basic wages @ Rs per person . 1	ई.एस.आय.सी. प्रति व्यक्ति रू. E.S.I.C. @ Rs per person 2	पी. एफ. प्रति व्यक्ति P. F. @ Rs per person 3	प्रति व्यक्ति वेतन का योग Total wages @ Rs per person (1+2+3=4) 4	प्रति व्यक्ति प्रशासनिक/प्रबंधकीय शुल्क शासन के प्रचलित नियमानुसार Administrative/Managment Charges @ Rs per person 5	प्रति व्यक्ति कुल लागत (योग) सरल क्रमाक 1 से 5 Total Cost @ Rs Per Person (Figures) Sr No.1 to 5 (4+5=6) 6
	अर्धकुशल						
	कुशल (तृतीय श्रेणी)						
	कुशल (चतुर्थ श्रेणी)						
	उच्चकुशल						

1. उपरोक्त विवरणिका के सरल क्रमांक 1,2,3 एवं 4 में दर्शाए गए न्यूनतम वेतन, वैधानिक उत्तरदायित्व शासन/संबंधित विधिक अभिकरण द्वारा प्रकाशित सूची/दरों एवं म. प्र. शासन वित्त विभाग के पत्र क्रं. FII-1/2023/नियम/चार भोपाल दिनांक 31 मार्च 2023 के अनुसार होगा। किसी भी परिसिथिति में प्रशासनिक/प्रबंधकीय शुल्क 1% से कम मान्य नही होगा । दरों में संशोधन, शासन/संबंधित विधिक अभिकरणों द्वारा संशोधित किया जाने पर किया जा सकेगा । यद्यपि निविदाकार निविदा में जो दर प्रचलित हैं उसे ही दर्शाऐं ।
2. दरें, मासिक आधार पर (सेवाकर कर (GST) छोडकर जिसे प्रचलित दरों के अनुसार भुगतान किया जाना होगा) संपूर्ण शुल्क सहित दर्शाई जावे ।
3. निविदाकारों को शासन के प्रचलित नियमानुसार प्रशासनिक/प्रबंधकीय शुल्क की (न्यूनतम) राशि जहां लागू हो निविदा में दर्शाना अनिवार्य है।

नोट :– यदि दो या अधिक संस्थाओं की एक समान दर पायी जाती है तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तालिका अनुसार श्रेष्ठता निर्धारित की जावेगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्त्ता का नाम व पता : ....
....

संस्था की सील ....

मूल्यांकन तालिका

निविदाकर्ता को दो निविदा प्रणाली का अनुसरण करना होगा जिसमे तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा प्रपत्र पृथक पृथक मूल्यांकित की जावेगी। परिशिष्ट 'अ' अनुसा पात्रता होने पर ही तकनीकी मुल्यांकन हेतु पात्रता होगी।

दो या दो से अधिक संस्थाओं की एक समान दर पाये जाने पर प्रत्येक को मुल्यांकन के अंतर्गत निम्न मापंदडो के आधार पर अधिकतम 50 में से अंक दिये जावेंगे।

1.	CA Certificate for last three Financial Years of Turnover of the Bidder ending march 2025	Weightage	2 Cr. to 3 Cr. Turnover	3 Cr. to 4 Cr. Turnover	4 Cr. to 5 Cr. and above Turnover	Remark
		10	4	6	10	Enclosed Audited Balance Sheet
2.	Establisment Registration Certificate of Indore i.e in the City of Buyer.	Weightage	3 to 6 Years old	6 to 9 Year old	10 and above years old	Registration/ Gumasta Certificate
		10	4	6	10	
3.	single work for the Highest value of ongoing/ completed work order for Outsourcing of Manpower in central Govt/State Govt/ PSU of the Bidder	Weightage	1 cr. to 2 cr.	2.1 to 3.0 cr	3 cr. and above work order.	Enclosed work order
		10	4	6	10	
4.	Service Tax/ GST Registration of M.P. of the Bidder	Weightage	3 to 6 Years old	6 to 9 Years old	10 and above year old	Enclosed service Tax/ GST Regisration certificate
		10	4	6	10	
5.	Experince of providing Manpower services in last 5 year of the Bidder in state/central Government	Weightage	3 work order	4 work order	5 work order	Enclosed Experience Certificate
		10	4	6	10	

वित्तीय निविदा मुल्यांकन एवं सफल निविदाकार का निर्धारण:-

- उपरोक्तानुसार निविदाकार द्वारा संबंधित दस्तावेज अनुक्रमांक अनुसार स्पष्ट अपलोड करना अनिवार्य है।
- मूल्यांकन में 50 अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सफल निविदाकारों द्वारा न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले की रेकिंग सूची तैयार की जावेगी।
- यदि एल 1 स्थान पर दो या दो से अधिक निविदाकारों की वित्तीय निविदा दरे समान पायी जाती है तो तकनीकी निविदा मूल्यांकन में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निविदाकर्ताओ का चयन एल 1 हेतु किया जावेगा।